अनुदान संख्या 16 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 16 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	570,34,00	598,84,00	569,65,84	-29,18,16
पूरक	Supplementary	28,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,52,03
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		41,00,00	12,45,31	-28,54,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				28,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2918.16 लाख) नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2850.00 लाख पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2918.16 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2850.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	30810.00			
पू.	S.	1133.00	28735.24	28564.96	-170.28
पु.	R.	-3207.76			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	26224.00			
पू.	S.	1717.00	29096.73	28400.88	-695.85
पु.	R.	1155.73			

(I) ₹503.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹503.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कारपोरेट कार्य मंत्रालय" – ₹27810.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1133.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹28943.00 लाख किया गया। तथापि, ₹2378.04 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को न भरे जाने, वापसी के लिए दावों पर कार्रवाई करने में विलंब होने, व्यावसायिक सेवाओं और कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Corporate Affairs" - the original provision of ₹27810.00 lakhs was augmented to ₹28943.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1133.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2378.04 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, delay in processing of claims for refund, requirement of less funds towards professional services and office expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" – "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड" – ₹2190.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹142.00 लाख का पूरक

(B) Major Head "3475" - "Regulation of Joint Stock Companies - Insolvency and Bankruptcy Board of India" - the original provision of ₹2190.00 lakhs

अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2332.00 लाख किया गया। तथापि, ₹182.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कोविड–19 फैलने की वजह से प्रस्तावव प्राप्त न होने के कारण हुई।

was augmented to ₹2332.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹142.00 lakhs. However, there was a saving of ₹182.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of proposal owing to outbreak of COVID-19.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹500.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹500.00 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – राष्ट्रीय कंपनी न्याय अपीलीय अधिकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹650.01 लाख का अधिक व्यय (₹2066.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कंपनी न्याय अपीलीय अधिकरण की पीठों के भवनों के किराए के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और विभिन्न पीठों में सदस्यों के रिक्त पदों को भरे जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3475" - "Other Expenditure - National Company Law Appellate Tribunal" - excess of ₹650.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2066.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent of hired accommodation for National Company Law Appellate Tribunal benches and filling up of vacant posts of members at various benches.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	4100.00	1250.00	1245.31	-4.69
पु.	R.	-2850.00			

(I) "अन्य व्यय – कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर/रिहायशी आवास के लिए भूमि/भवन की खरीद/निर्माण" के अंतर्गत ₹2773.06 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता

(I) Under "Other Expenditure - Purchase of Land/Building/Construction of Office Premises/ Residential Accommodation for Staff" - saving of ₹2773.06 lakhs (against the sanctioned provision of

में कारपोरेट भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से दावों की प्राप्ति न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के जाने के कारण हुई।

₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Central Public Works Department towards construction of Corporate Bhawan at Kolkata and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि :–

4. Investor's Education and Protection Fund:-

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि अदावी लाभाशों, परिपक्व जमा राशियों, परिपक्व डिबेंचरों की वापसी, वापसी की जाने वाली आवेदन राशि और उस पर ब्याज, निवेशक शिक्षा जानकारी और सुरक्षा के लिए, शेयरों या डिबेंचरों, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों या वे जमाकर्ता जिन्हें न्यायालय जिसने वमन के आदेश दिए थे, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति जिसे गलत कार्रवाई किए जाने के कारण हानि हुई है, को धन वापसी किए जाने के लिए खोला गया था।

The Investor's Education and Protection Fund was opened to refund in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debentures, the application money due for refund and interest thereon, for promotion of investor's education, awareness and protection, distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture-holders or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any persons, in accordance with the orders made by the Court which had ordered disgorgement.

वर्ष 2019–2020 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	83,18,68
प्राप्तियां	Receipts	:	20,00,00
अदायगियां	Payments	:	17,77,16
अंत शेष	Closing Balance	:	85,41,52